राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsgraj.org

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/18/ 8671 दिनांक : 12.02.2018

आदेश

समस्त नगरीय निकायों द्वारा भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'स्वच्छ भारत मिशन' (SBM) की कियान्विति की जा रही है। कतिपय नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों द्वारा वार्ड/नगरीय निकाय को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किये जाने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। नगरीय निकायों द्वारा आवश्यक शौचालयों (IHHL/CT/PT) का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे निकायों को 15 फरवरी तक खुले मे शौच मुक्त (ODF) घोषित किया जाना संम्भव नही हो रहा है।

शौचालयों का निर्माण कराने एवं घर–घर से कचरा संग्रहण हेतु उपकरणो के क्रय करने की कार्यवाही नगरीय निकाय स्तर पर की जा रही है। विभाग द्वारा नगर निकायों/वार्डो में शत् प्रतिशत घर–घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक उपकरण क्रय करते हुये, उनका भुगतान निर्धारित समयावधि में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शौचालयो के निर्माण व उपकरणों के क्रय का भुगतान सम्बन्धित संवेदकों को समय पर नहीं करने के कारण स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि लम्बित प्रकरणों यथा : शौचालयों का निर्माण, वार्डो को खुले मे शौच मुक्त (ODF) घोषित करना तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण एवं उपकरणों की आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतान 15 फरवरी तक किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि मे भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं वरिष्टतम लेखाधिकारी/लेखाकर्मी को संयुक्त रूप से लम्बित भुगतान करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति करते हुये, राज्य को 28 फरवरी, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 18/8672-104 दिनांक : 12.02.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।

2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. निदेशक (स्वच्छता), राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक (विधि), निदेशालय।
8. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
9. मुख्य अभियंता, निदेशालय।
10. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
11. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को उक्तानुसार समाचार प्रकाशित करने हेतु।
14. प्रोगामर, निदेशालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव